न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 18/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00053)

1. सुगन सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. विधोत्मा देवी पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राज.)

—रेस्पोंडेन्ट

2. तहसीलदार, मुण्डावर, जिला अलवर। (राज.)

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 23.06.2017

उपस्थित–

1. श्री गोविन्दराम यादव, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –17.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 23.06.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.08.2018 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया कि आराजी ख.नं. 222 रकबा 0.80 हैक्ट. वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी मिन प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी है जिसका काफी समय से उपयोग/उपभोग करती आ रही है तथा मौके पर आज भी काबिज है जो खाली खेत है। उक्त आराजी ख.नं. 222 के लगता हुआ आराजी ख.नं. 221 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, लेकिन मौके पर मिन प्रार्थीया की भूमि करीब 3 मीटर कम है जबकि मिन प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक रकबा 0.80 को होना चाहिये था। प्रार्थीया ने अपनी आराजी की पैमाईश दिनांक 09.08.2016 को तहसीलदार मुण्डावर के आदेश से पत्थरगढी कराई गई थी तथा मौके पर निशानात कायम किये गये थे। मिन प्रार्थीया ने पत्थरगढी कराने हेतु तहसीलदार मुण्डावर व अप्रार्थी सं. 1 से कहा तो आना कानी करने लगे जिससे मिन प्रार्थीया को अपनी आराजी में फसल बोने में विलम्ब हो रहा है तथा मौके पर आज भी काफी पेड अनार के खडे हुये है लेकिन बिना पत्थरगढी के मौके पर तारबन्दी आदि करने में काफी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए मिन प्रार्थीया उक्त आराजी पर मुताबिक पैमाईश पूरी भूमि को कब्जे में लेकर तारबंदी, पत्थरगढी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया की आराजी ख.नं. 222 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर की मुताबिक पैमाईश के मौके पर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये गये कि वो आराजी खसरा नम्बर 222 रकबा 0.80 हैक्ट0 वाके ग्राम झझारपुर तह. मुण्डावर की पैमाईश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

दिनांक 25.06.2016 के मुताबिक मौके पर पीलर से पुख्ता पत्थरगढी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 23.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री सुगन सिंह पुत्र भंवर सिंह द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 23.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू–राजस्व अधिनियम का अपीलान्ट अप्रार्थी के विरुद्ध तहत अदालत में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 222 रकबा 0.80 हैक्टेयर वाके झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जिससे लगती हुई आराजी खसरा नंबर 221 अप्रार्थी (अपीलान्ट) की है मौके पर प्रार्थीयां की 3 मीटर जमीन कम है। प्रार्थीया मुताबिक पैमाईश तारबंदी कराकर पत्थरगढी कराना चाहती है। जिस प्रार्थना–पत्र में अपीलान्ट की कोई इतला नहीं कराई तथा ना हीं अपीलान्ट को सुना गया तथा उपजिलाधीश, अलवर ने दिनांक 23.06.17 को आदेश पारित कर मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश प्रदान कर दिये। जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 04.06.18 को पटवारी हल्का मौके पर गया तथा अपीलान्ट की आराजी में दखलदांजी की तथा उपजिलाधीश, मुण्डावर के निर्णय की जानकारी दी। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 05.06.18 को नकल के लिये आवेदन किया जो नकल दिनांक 08.06.18 को अपीलान्ट को मिली। इसके पश्चात् कानूनी सलाह व पैसों के इंतजाम में समय लगने के पश्चात् बिना किसी देरी के यह अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के पेश की जो दिनांक 02.07.18 को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर दी जिसकी नकल दिनांक 31.07.18 को मिली जिससे यह अपील श्रीमान् के समक्ष दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 128 व 111 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है। अदालत मातहत ने पैमाईश रिपोर्ट तहसीलदार की दिनांक 25.06.16 के आधार पर दिया है। जबकि पैमाईश रिपोर्ट अपीलान्ट की गैरमौजूदगी में की है। पैमाईश रिपोर्ट पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नहीं है। जिस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर नहीं किया। जो तथ्य भी काबिल गौर अदालत श्रीमान् है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र भी मेन्टेनेबल नही है। निर्णय दिनांक 23.06.17 का है। जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी, जानकारी के पश्चात् बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत है तथा रफाय हुज्जत से बचने के लिये दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 23.06.2017 निरस्त फरमाया जावे व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे। निर्णय दिनांक 23.06.17 की कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। क्योंकि निर्णय प्रार्थी को बगैर सुने प्रार्थी की गैरमौजूदगी में किया है। निर्णय दिनांक 23.06.17 की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 04.06.18 को हुई जब पटवारी हल्का मौके पर पहुंचा तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी की मेड़ को हटाने का प्रयास किया तथा उपजिलाधीश के फैसले की जानकारी दी। जिस पर दिनांक 05.06.18 को नकल के लिये आवेदन किया जो नकल दिनांक 08.06.18 को प्रार्थी को प्राप्त हुई। उसके पश्चात् कानूनी सलाह व पैसों के इंतजाम में समय लगने के कारण तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की प्रति दिनांक 31.07.18 को प्राप्त होने पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बिना किसी देरी के दिनांक 23.06.17 से दिनांक 04.06.18 तक का समय जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 05.06.18 से दिनांक 08.06.18 तक का समय नकल लेने के लिए एवं दिनांक 09.06.18 से दिनांक 02.08.18 तक का समय कानूनी जानकारी व पैसों के इंतजाम में तथा दिनांक 14.06.18 से 31.07.18 तक का समय निर्णय राजस्व अपील अधिकारी कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.05.17 से दिनांक 02.08.18 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया कि आराजी ख.नं. 222 रकबा 0.80 हैक्ट. वाके ग्राम झझारपुर तह० मुण्डावर में स्थित है जो आराजी मिन प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी है जिसका काफी समय से उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा मौके पर आज भी काबिज है जो खाली खेत है। उक्त आराजी ख.नं. 222 के लगता हुआ आराजी ख.नं. 221 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में है लेकिन मौके पर मिन प्रार्थीया की भूमि करीब 3 मीटर कम है जबकि मिन प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक रकबा 0.80 होना चाहिये था। प्रार्थीया ने आराजी की पैमाईश दिनांक 09.08.2016 को तहसीलदार मुण्डावर के आदेश से पत्थरगढी कराई गई थी तथा मौके पर निशानात कायम किये गये थे। मिन प्रार्थीया ने पत्थरगढी कराने हेतु तहसीलदार मुण्डावर व अप्रार्थी सं. 1 से कहा तो आना कानी करने लगे जिससे मिन प्रार्थीया को अपनी आराजी में फसल बोने में विलम्ब हो रहा है तथा मौके पर आज भी काफी पेड अनार के खडे हुये है लेकिन बिना पत्थरगढी के मौके पर तारबन्दी आदि करने में काफी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए मिन अपीलार्थीया उक्त आराजी पर मुताबिक पैमाईश पूरी भूमि को कब्जे में लेकर तारबंदी, पत्थरगढी कराना चाहती है। अतः प्रार्थी की आराजी ख.नं. 222 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर की मुताबिक पैमाईश के मौके पर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये गये कि वो आराजी ख0नं0 222 रकबा 0.80 हैक्ट0 वाके ग्राम झझारपुर तह. मुण्डावर की पैमाईश दिनांक 25.06.2016 के मुताबिक मौके पर पीलर से पुख्ता पत्थरगढी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित किये गये। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2016 के अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने कथन किया है कि निर्णय दिनांक 23.06.17 की कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। क्योंकि निर्णय प्रार्थी को बगैर सुने प्रार्थी की गैरमौजूदगी में किया है। निर्णय दिनांक 23.06.17 की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 04.06.18 को हुई जब पटवारी हल्का मौके पर पहुंचा तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी की मेड़ को हटाने का प्रयास किया तथा उपजिलाधीश के फैसले की जानकारी दी। जिस पर दिनांक 05.06.18 को नकल के लिये आवेदन किया जो नकल दिनांक 08.06.18 को प्रार्थी को प्राप्त हुई। उसके पश्चात् कानूनी सलाह व पैसों के इंतजाम में समय लगने के कारण तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की प्रति दिनांक 31.07.18 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश है। दिनांक 23.06.17 से दिनांक 04.06.18 तक का समय जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 05.06.18 से दिनांक 08.06.18 तक का समय नकल लेने के लिए एवं दिनांक 09.06.18 से दिनांक 02.08.18 तक का समय कानूनी जानकारी व पैसों के इंतजाम में तथा दिनांक 14.06.18 से 31.07.18 तक का समय निर्णय राजस्व अपील अधिकारी कन्डोन किये जाने एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने तथा दिनांक 23.05.17 से दिनांक 02.08.18 तक का समय कन्डोन किया जावे। माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी को समयक तामील होना जाहिर नहीं होता है। पत्रावली में न ही नोटिस जारी होने का उल्लेख है तथा न ही नोटिस तामील होने का कोई उल्लेख उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित प्रतीत होता है। प्रकरण में न्यायिक सिद्धान्तों की पूर्ण पालना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाना जाहिर होता है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पारित निर्णय न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर